न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 101/19 तारीख दायर

राजेश कुमार/मोहन लाल धाकड़ विष्णुपुरा बनाम 1. बद्रीलाल/हिरा धाकड़ विष्णुपुरा 2. रघुनाथ/हीरा धाकड़ विष्णुपुरा 3. मांगीलाल/देवीलाल धाकड़ विष्णुपुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 11-6-19

प्रार्थना पत्र श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने जरिये अभिभाषक श्री राजेश कुमार धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम विष्णुपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ में आराजी न0 .... मे. आराजी नं. 694/190 .... किता 1 रकबा 0 बीघा 17 बिस्वा [illegible] भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। पत्थरगढ़ी हेतु भू.अ.नि. आराजी का रकबा का निर्धारण किया जाता है कमिशन फीस 500 रु तय किये जाते हैं जो बाद पत्थरगढ़ी प्राप्त किया होगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम विष्णुपुरा की आराजी नम्बर 694/190 .... रकबा .... बीघा 0-17 बिस्वा 0-17 की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner